

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद,  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् महा निबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

विषय: स्व:निर्धारण प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2022 - 2023 के पैरा संख्या-1(c), 1(f),  
1(f)(iii), 1(g)(i), 1(g)(ii), 1(l), 1(m) व पैरा-4, में दी गई  
प्रतिकूल टिप्पणी को सकारात्मक परिवर्तित करके उच्चकृत (Upgrade) किए  
जाने हेतु प्रत्यावेदन।  
महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 04 जुलाई, 2022 तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-7 आरैर दिनांक 05 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के पद पर नियुक्त रहा है।

प्रार्थी ने उक्त दोनों न्यायालयों में नियुक्ति के दौरान, 365 दिन के सापेक्ष कुल 3149.35 यूनिट कार्य किया है। न्यायिक कार्य (अन्तिम आदेश आरैर निर्णय) से 2755.85 यूनिट अर्जित किया है, जिसमें 439.52 यूनिट सार्वजनिक अवकाश, छुट्टियों आदि का कार्य शामिल नहीं है।

माननीय जिला जज द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23, ई-सर्विस पोर्टल, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पर दिनांक 03-09-2023 को अपलोड की, जिसका अवलोकन दिनांक 11-09-2023 को किया, जिससे ज्ञात हुआ कि माननीय जिला जज द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्व:निर्धारण प्रपत्र के पैरा सं०-1(c), 1(f), 1(f)(iii), 1(g)(i), 1(g)(ii), 1(l), 1(m) एवं पैरा-4 में तथ्यों के विपरीत, प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। प्रार्थी जिसका प्रस्तरवार प्रत्यावेदन कर रहा है, जो निम्नवत् है -

1. पैरा सं०-1(c) - माननीय जिला जज ने स्व:निर्धारण प्रपत्र के पैरा-1(c) में प्रार्थी को शान्त स्वभाव व न्यायालय में क्रोध/गुस्सा करने वाला नहीं माना आरैर ऐसी किसी घटना के दृष्टांत का वर्णन गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि में नहीं किया, ना ही मुझे कोई सूचना दी है।
2. पैरा सं०-1(f) - माननीय जिला जज ने स्वयं माना कि प्रार्थी द्वारा पारित निर्णय, तथ्य एवं विधि की विस्तृत व्याख्या करते हुए, तर्कों के अनुरूप, अच्छी भाषा में पारित किये हैं।
3. पैरा सं०-1(f)(iii) - माननीय जिला जज ने विधि को तार्किक ढंग से लागू ना करने के सम्बन्ध में पी०एस०टी० संख्या-513/2014, सरकार बनाम संजीत उर्फ संजीव कुमार एवं पी०एस०टी० संख्या-2132/2021, सरकार बनाम बाल अपचारी "ए" पुत्र हरिश्चन्द्र, का हवाला दिया है, जिनका विवरण निम्नवत् है -

पी०एस०टी० संख्या-513/2014, सरकार बनाम संजीत उर्फ संजीव कुमार, मु०अ० सं०-65/2014, अन्तर्गत धारा-354क भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, थाना पचोखरा, फिरोजाबाद में घटना दिनांक 27-03-2014 को पीड़िता (एन), लगभग 10 वर्ष की थी। वादी के गाँव के लड़के संजीत ने पीड़िता (एन) से छेड़छाड़ की, जब पीड़िता चिल्लाई तो आसपास के लोगों को आता देखकर वह पीड़िता (एन) को छोड़ कर भाग गया।

अभियोजन ने तथ्य के मात्र तीन साक्षी- पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा नरेन्द्र कुमार (पिता), पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एन), पी०डब्लू०-3 श्रीमती मीरा देवी, पीड़िता की मौसी एवं

पी०डब्लू०-4 एच०सी०पी० सावित्री पाण्डेय, पी०डब्लू०-5 डा० जूही वाष्णेय, पी०डब्लू० 6 प्रथम विवेचक उ०नि० यादराम सिंह, पी०डब्लू०-7 द्वितीय विवेचक उ०नि० देवेन्द्र कुमार व पी०डब्लू०-8 डा० शशीकांत गुप्ता को परीक्षित कराया है। शेष साक्षीगण आ०पचारिक हैं, जिन्होंने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए अपने द्वारा की गयी कार्यवाही को न्यायालय में आकर साक्ष्य से साबित किया है।

पीड़िता (एन) के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं०, धारा-164 दं०प्र०सं० (प्रदर्श क-2) आ०र न्यायालय में दिये सशपथ बयान अविश्वसनीय हैं, जिनमें परस्पर विरोधाभास है। डा० जूही वाष्णेय ने दिनांक 29-03-2014 को पीड़िता (एन) का, घटना दिनांक 27-03-2014 के दो दिन बाद, बाह्य एवं आन्तरिक चिकित्सीय परीक्षण (आख्या प्रदर्श क-5 व प्रदर्श क-6) किया, जिसमें पीड़िता (एन) के शरीर तथा गुप्तांग पर कोई चोट या चोट का निशान नहीं पाया। पीड़िता (एन) की हायमन झिल्ली टूटी होना नहीं पायी आ०र उसके गुप्तांग से कोई खून या डिस्चार्ज होना नहीं पाया। वेजाइनल स्मीयर में कोई शुक्राणु आ०र अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट में पीड़िता के गर्भाशय में कोई गर्भ नहीं पाया। डाक्टर शशीकांत गुप्ता ने पीड़िता (एन) की आयु निर्धारण की बावत, उसका एकसरे (आख्या प्रदर्श क-9) आ०र एकसरे प्लेट्स के आधार पर पीड़िता (एन) की उम्र घटना के समय, लगभग 10 वर्ष होना कहा है।

यहाँ पर यह उल्लिखित कर देना भी समीचीन होगा कि डा० जूही वाष्णेय द्वारा पीड़िता (एन) का चिकित्सीय परीक्षण, उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला (बलात्कार) के अपराध को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जबकि वादी की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 एवं विवेचक ने आरोप पत्र (प्रदर्श क-8) अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार के विरुद्ध केवल अपराध अन्तर्गत धारा-354 क भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में, न कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में प्रेषित किया है। न्यायालय ने दिनांक 26-08-2014 को अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार के विरुद्ध केवल धारा-354 क भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में आरोप विरचित करके उसी अपराध में विचारण किया है। विचारण के दौरान ए०सा कोई प्रमाण अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रतीत हो कि मामला लैंगिक हमला/छेड़छाड़ का न होकर प्रवेशन लैंगिक हमला (बलात्कार) का है। अभियोजन कथानक का समर्थन, तथ्य के साक्षियों आ०र चिकित्सीय साक्ष्य से भी न होने के कारण, अभियुक्त को, गुण दोष पर, निर्णय दिनांक 28-03-2022 को पारित करते हुए दोष मुक्त किया गया है। (निर्णय की प्रति संलग्न है)।

**पी०एस०टी० संख्या-2132/2021, सरकार बनाम बाल अपचारी (ए) पुत्र श्री हरिश्चन्द्र, मु०अ०सं०-176/2021, अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद, की तहरीर प्रदर्श क-1 वादी रामेश्वर, {पीड़िता (आर) के दादाजी}, ने दर्ज कराई। बाल अपचारी (ए) के ऊपर बाल न्यायालय ने, नाबालिग पीड़िता (आर) को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बहला फुसला कर, विवाह करने के लिए विवश करने या उसके साथ अयुक्त संभोग करने हेतु दबाव बनाने आ०र प्रवेश लैंगिक हमला (बलात्कार) करने का आरोप, दिनांक 10-06-2022 को विरचित किया है।**

तथ्य के साक्षी - पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा रामेश्वर (दादा), पी०डब्लू०-2 पीड़िता (आर), पी०डब्लू०-6 सुनील राठौर (पिता) एवं पी०डब्लू०-7 श्रीमती ऊषा देवी (माँ), कुल चार साक्षी परीक्षित कराये हैं। पीड़िता (आर) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं०, धारा-164 दं०प्र०सं० (प्रदर्श क-2) एवं न्यायालय में दिये सशपथ बयानों में अभियोजन कथानक को पूर्णतः समर्थित किया है, जिसका समर्थन तथ्य के अन्य साक्षियों ने भी किया है। सभी साक्षियों की साक्ष्य में कोई विसंगति एवं विरोधाभास नहीं है।

पी०डब्लू०-4 डा० रुचि यादव ने दिनांक 12-04-2021 को पीड़िता (आर) का बाह्य व आन्तरिक चिकित्सीय परीक्षण (आख्या प्रदर्श क-5 व प्रदर्श क-6), घटना दिनांक 03-04-2021 को 09 दिन बाद किया, जिसमें पीड़िता की हायमन झिल्ली पूर्ण फटी होना पाया। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान या रक्तश्राव आ०र वेजाइनल स्मीयर में कोई शुक्राणु नहीं पाया। पी०डब्लू०-9 डा० अनुराग शुक्ला ने अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट (प्रदर्श क-10)

में पीड़िता (आर) के गर्भ में कोई भ्रूण नहीं पाया। पी०डब्लू०-8 डा० श्याम मोहन गुप्ता, ए०सी०एम०आ० ने, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर, पीड़िता (आर) की उम्र घटना के समय लगभग 16 वर्ष निर्धारित की, जिसको पी०डब्लू०-9 डा० अनुराग शुक्ला, रेडियोलॉजिस्ट ने समर्थित किया है। शेष साक्षीगण आ०पचारिक हैं, जिन्होंने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए अपने द्वारा की गयी कार्यवाही को न्यायालय में आकर साक्ष्य से साबित किया है।

अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य एवं पीड़िता (आर) की चिकित्सीय साक्ष्य से घटना पूर्णतः साबित होने के उपरान्त, बाल अपचारी (ए) को धारा-29 एवं 30 पोक्सो अधिनियम में दोषी होने की उपधारणा के विरुद्ध, पर्याप्त अवसर देने व सफाई साक्ष्य न देने पर, किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध, विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहृत/व्यपहृत करने आ०र अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने, बलात्कार करने तथा पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेशन लैंगिक हमला करने का दोषी पाते हुए, अभियोजन मामले को संदेह से परे साबित करने के कारण, बाल न्यायालय द्वारा बाल अपचारी (ए) को, दिनांक 24-11-2022 को दोष सिद्ध किया गया। (निर्णय की प्रति संलग्न है)।

उपरोक्त दोनों मामलों में, प्रथम प्रकरण नाबालिग पीड़िता (एन) के साथ छेड़छाड़/लैंगिक हमला करने से संबंधित है, जिसमें उसके शरीर पर कोई चोट अथवा चोट का निशान नहीं पाया गया। घटना की एक मात्र चश्मदीद आ०र आहत साक्षी के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। वादी व पीड़िता की मौसी घटना की चश्मदीद साक्षी नहीं हैं। उन्होंने केवल पीड़िता के बताये अनुसार साक्ष्य दिया है, जिसे उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया है। अभियोजन साक्षी घटना को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं, जिस कारण अभियुक्त संजीत उर्फ संजीव कुमार को उक्त मामले में दोष मुक्त किया गया है, जबकि द्वितीय मामला नाबालिग पीड़िता (आर) को, विधिपूर्ण संरक्षकता से विवाह, अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने एवं बलात्संग/प्रवेशन लैंगिक हमला करने के उद्देश्य से व्यपहृत/अपहृत करने, के अपराध को, पीड़िता व तथ्य के साक्षियों ने अपने बयानों से अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया है, जिसका समर्थन, डा० रुचि यादव के बयान एवं चिकित्सीय साक्ष्य (प्रदर्श क-5 आ०र प्रदर्श क-6) से होता है। पीड़िता (आर) की हायमन झिल्ली फटी होना पाया गया। बाल अपचारी (ए), धारा-29 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत सबूत के इस भार को उन्मोचित करने में असफल रहा है कि पीड़िता (आर) की हायमन झिल्ली कैसे टूटी है? जबकि पीड़िता (आर) के मौखिक बयान से साबित है।

उपरोक्त दोनों मामलों में पीड़िताओं की चिकित्सीय आख्याएं अलग-अलग हैं। क्योंकि प्रथम प्रकरण छेड़छाड़/लैंगिक हमले से संबंधित है आ०र द्वितीय प्रकरण बलात्संग /प्रवेशन लैंगिक हमला जैसे गम्भीर व जघन्य अपराध से संबंधित है, जिनमें विधि के समान उपबन्ध लागू नहीं होते हैं आ०र उनमें सजा का प्रावधान भी भिन्न-भिन्न है। दोनों घटनाओं के तथ्य भी पूर्णतः भिन्न हैं, ए०सी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों मामलों में चिकित्सीय साक्ष्य एक ही प्रकृति की थी, जबकि अभियोजन साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है। उभय निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त, जिनका वर्णन निर्णयों में किया गया है, के आलोक में, अभियोजन कथानक के अनुसार विधिक उपबन्धों के अध्याधीन, गुण दोष पर निर्णय किये गये हैं।

**4. पैरा सं०-1(g)(i) –** प्रार्थी द्वारा किसी भी अपराधिक मामले में अभियुक्त की मृत्यु होने पर, थाने से प्राप्त आख्या एवं अभियुक्त का मृत्यु प्रमाणपत्र आदि प्राप्त होने पर, वाद को उसी स्तर पर, उक्त अभियुक्त के सन्दर्भ में उपशमित किया गया है आ०र ए०से किसी भी मामले में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई भी कार्य/यूनिट देय नहीं होती है। मेरे द्वारा उपशमित किए गये किसी भी मामले में कोई यूनिट नहीं ली गयी है, जो स्वःनिर्धारण प्रपत्र वर्ष 2022-23 के साथ संलग्न परिपत्रों से स्पष्ट है। माननीय जिला जज द्वारा कहा गया है कि पोक्सो अधिनियम व सेशन ट्रायल वादों में सभी साक्षियों के पक्षद्रोही घोषित होने के उपरान्त, मेरे द्वारा पूर्ण यूनिट ली गयी है, जबकि उक्त मामलों में अभियोजन के सभी साक्षी, पक्षद्रोही घोषित नहीं हुए थे। कुछ साक्षियों के पक्षद्रोही होने के उपरान्त भी, अधिकांश साक्षियों ने गुण दोष पर न्यायालय में आकर सशपथ, साक्ष्य दी थी, जिसके अनुसार मामले का गुण दोष पर, विधिनुसार निस्तारण किया

गया है।

5. पैरा सं०-1(g)(ii) – माननीय जिला जज द्वारा 15 वाद पोक्सो अधिनियम एवं 02 सत्र परीक्षण वाद, जिनमें सभी साक्षी पक्षद्रोही थे, निस्तारित करना कहा है, परन्तु उक्त तथ्य सत्य नहीं है, क्योंकि उक्त मामलों के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित नहीं हुए, बल्कि अधिकांश साक्षियों ने न्यायालय में सशपथ, गुण दोष पर गवाही दी है, जिसके अनुसार उन मामलों का, गुण दोष पर विधि अनुसार निस्तारण किया गया है।

6. पैरा सं०-1(l) – माननीय जिला जज ने मुझे न्यायालय में डॉयस पर, नियत समय पर, हमेशा समय से बैठना पाया है। महोदय द्वारा कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं दिया गया, जिसमें समय से न्यायालय में बैठना नहीं पाया हो।

7. पैरा सं०-1(m) – माननीय जिला जज द्वारा स्वयं, जिला जज आर वरिष्ठ अधिकारियों की राय को सदैव मानना कहा है, परन्तु कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं दिया, जिसमें प्रार्थी ने माननीय जिला जज या वरिष्ठ अधिकारियों की राय न मानी हो।

8. पैरा सं०-4 – माननीय जिला जज द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित 129 वादों में 8 यूनिट वाद के हिसाब से, आगणन करके 774 अतिरिक्त यूनिट लेना कहा है। 04 वाद विद्युत अधिनियम के अभियुक्तों की मृत्यु होने के उपरान्त 32 यूनिट लेना कहा है, जबकि केवल 8 यूनिट लेना चाहिए था। 24 अतिरिक्त यूनिट लिए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभियुक्त की मृत्यु उपरान्त उपशमित मामलों में कोई भी कार्य/यूनिट देय नहीं होती है। मेरे द्वारा उपशमित किए गये किसी भी मामले में कोई यूनिट नहीं ली गयी है, जो स्व:निर्धारण प्रपत्र वर्ष 2022-23 के साथ संलग्न परिपत्रों से स्पष्ट है। पोक्सो अधिनियम के 14 वादों में 112 यूनिट में 84 अतिरिक्त यूनिट तथा दो सत्र परीक्षण वादों में 16 यूनिट, जिसमें 12 अतिरिक्त यूनिट, कुल 894 अतिरिक्त यूनिट लेना कहा है, परन्तु इन वादों से संबंधित किसी वाद का विवरण, दृष्टांत में नहीं दिया है। उक्त प्रविष्टियों से संबंधित सुसंगत तथ्य आर सामग्री का उल्लेख प्रतिकूल प्रविष्टि के किसी भी कॉलम में नहीं किया है, जबकि महोदय ने स्व:निर्धारण प्रपत्र के पैरा संख्या-1(g) में स्वतः प्रमाणित किया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया कार्य, पर्याप्त है। मेहनत आर कौशल द्वारा प्राप्त 3149.35 यूनिट, जिनमें न्यायिक कार्य (अन्तिम आदेश/निर्णय) से 2755.85 यूनिट प्राप्त किये हैं। यदि 894 यूनिट हटा भी दी जाएँ तो भी, लक्षित यूनिट 1200 से अत्यधिक 2755.35 यूनिट का, पर्याप्त कार्य किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि स्व:निर्धारण प्रपत्र/वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2022-23 के पैरा सं०-1(c), 1(f), 1(f)(iii), 1(g)(i), 1(g)(ii), 1(l), 1(m) एवं पैरा-4, में माननीय जिला जज, फिरोजाबाद द्वारा उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटा कर, उच्चकृत (Upgrade) कराने के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ प्रार्थी के प्रत्यावेदन को, तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति (जनपद फिरोजाबाद), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रखने की महती कृपा करें।

सादर,

भवदीय,

दिनांक: 18-09-2023

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।  
(I.D.-UP6013)

संलग्नक – निम्नलिखित निर्णयों की प्रति।

1. पी०एस०टी० संख्या-513/2014, सरकार बनाम संजीत उर्फ संजीव कुमार।
2. पी०एस०टी० संख्या-2132/2021, सरकार बनाम बाल अपचारी "ए" पुत्र हरिश्चन्द्र।